



- 13/11 लिखमी पुत्री माता शारदा पुत्री स्व रुन्डा उम व्यस्क जाति मेहतर निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राज.)
- 13/12 दीपा पुत्री माता शारदा पुत्री स्व रुन्डा उम व्यस्क जाति मेहतर निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राज.)
- 13/13 रेखा पुत्री माता शारदा पुत्री स्व रुन्डा उम व्यस्क जाति मेहतर निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राज.)
14. केशर पत्नी सन्ताराम उम व्यस्क जाति मेहतर निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राज.)
15. दीपक पुत्र सन्ताराम उम व्यस्क जाति मेहतर निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राज.)
16. सुनीता पुत्री सन्ताराम उम व्यस्क जाति मेहतर निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राज.)
17. श्रवण पुत्र सन्ताराम उम व्यस्क जाति मेहतर निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राज.)
18. द्रोपती पत्नी मगनाराम उम व्यस्क जाति मेहतर निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राज.)
19. शंकर पुत्र मगनाराम उम व्यस्क जाति मेहतर निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राज.)
20. संतोष पुत्री मगनाराम उम व्यस्क जाति मेहतर निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राज.)
21. सुमित पुत्र मगनाराम उम व्यस्क जाति मेहतर निवासी ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राज.)
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरु (राज.)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री मोहनलाल विशु एडवोकेट व श्री ओमप्रकाश घोटिया सुजानगढ
2. परोकार राज तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरु (राज.)



राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

—: निर्णय :-

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग-उपभोग का खेत खसरा संख्या 407 तादादी 1.4035 हैक्टेयर व खसरा नं. 995/408 तादादी 3.2497 हैक्टेयर वाके रोही खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु में स्थित है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादगत भूमि में वादीनी का 67/736 राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा नियत है। वादी के कब्जा काश्त व हिस्सा पांति में खेत खसरा नं. 995/408 तादादी 3.2497 हैक्टेयर में से पश्चिमी ओर कटाणी रास्ते से पूर्वी ओर मध्य जो नजरी नक्शा में वरंगलाल से दर्शित भूमि हिस्से पांति में आई हुई है। दावा जिसके विभाजन हेतु वादीगण ने यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ को वादी के हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ ने विभाजन प्रस्तुत तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादगत भूमि खसरा संख्या 407 तादादी 1.4035 हैक्टेयर व खसरा संख्या 995/408 तादादी 3.2497 वाके रोही ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादीनी खसरा संख्या 995/408 मिन 0.4235 हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

उप खण्ड अधिकारी  
सुजानगढ


एक रिकॉर्डेड खातदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

### आदेश

दावा वादीनी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 22 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 407 तादादी 1.4035 हैक्टेयर व खसरा नं. 995/408 तादादी 3.2497 हैक्टेयर वाके रोही खुडी तहसील सुजानगढ़ जिला घूरु में वादीनी का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पृथक् से अकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना-अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



  
 अनंदप्रकाश वर्मा  
 जिला न्यायाधीश  
 सुजानगढ़

## डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्दा दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ  
बइजलास श्री ओम प्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

सिणगारी बनाम उदाराम आदि  
दावा कृषि भूमि विभाजन  
मुकदमा नं 255 रान 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु .....  
हाजरी श्री मोहनालाल विस्सु एड, भिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज भिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादीनी अन्तिम रूप से डिकरी किया जाकर प्रतिवादी संख्या 22 तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 407 तादादी 1. 4035 हैक्टैयर व खसरा नं. 995/408 तादादी 3.2497 हैक्टैयर वाके रोही खुडी तहसील सुजानगढ जिला चूरु में वादीनी का हिरसा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना-अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार परचा डिकरी जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज..... मुबलिंग ..... वायत .....  
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना  
आज की तारीख से तारीख व सूलमादी तक .....  
..... को अदा करे।  
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 03 2025

मुहर



दस्तखत .....  
श्री ओम प्रकाश वर्मा  
अधिकारी  
सुजानगढ

	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिशनर वायतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिशनर वायतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।